राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–15/19
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2019/00076
दायर दिनांक– 10.07.2019
निर्णय दिनांक– 06.06.2023

1. कालूराम पुत्र हरजी जाति रेगर नि0 ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर —प्रार्थी

बनाम

1. कल्याण पुत्र बन्ना
2. कानूड़ी पुत्री बना
3. पप्पू लाल पुत्र बन्ना
4. राजेन्द्र पुत्र बन्ना (फौत)

4/1 सीमा पत्नि राजेन्द्र
4/2 नाबा0 तुसाल उर्फ विशाल पुत्र राजेन्द्र जरिये संरक्षक माता सीमा
4/3 नाबा0 आहिस पुत्र राजेन्द्र जरिये संरक्षक माता सीमा
4/4 नाबा0 निहा पुत्री राजेन्द्र जरिये संरक्षक माता सीमा

5. सुरज्ञान पुत्री बन्ना
6. सोनी देवी पत्नि बन्ना
   अप्रार्थी संख्या 1 से 6 जाति रेगर, निवासी ग्राम रूपनगढ़
7. छोटू पुत्र सुखा
8. बाबुलाल पुत्र सुखा
   अप्रार्थी संख्या 7 से 8 जाति रेगर निवासी ग्राम रूपनगढ़
9. खेताराम पुत्र गोपी जाति रेगर नि0 रूपनगढ़
10. किशन पुत्र भंवरलाल
11. गोपाल पुत्र भंवरलाल
12. ताराचन्द पुत्र भंवरलाल
13. शांति देवी पुत्री भंवरलाल
14. सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल
15. किरण देवी पत्नि गोपाल
    अप्रार्थी संख्या 10 से 15 जाति खटीक, नि0 रूपनगढ़
16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थी
2 अरविन्द दाधीच, अधि0 अप्रार्थी संख्या 1–9

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त खातेदारी की ख0न0 3797/2257 रकबा 1.0921 है0 भूमि ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर की भूमि के उत्तर व दक्षिणी दिशा की सीमा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की खातेदारी भूमि ख0न0 2266, 2267, अप्रार्थी संख्या 10 [illegible] की खातेदारी भूमि ख0न0 2257 दक्षिण दिशा में, अप्रार्थी संख्या 15 की खातेदारी भूमि ख0न0 [illegible] पूर्व दिशा में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 आये दिन प्रार्थी की भूमि अनावश्यक [illegible] कर विवाद उत्पन्न करते है। नींव–सींव को लेकर विवाद व्यवधान [illegible] प्रार्थी [illegible] भूमि का सीमाज्ञान [illegible] के आदेश तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा हल्का पटवारी [illegible] से करवाये। तत्पश्चात [illegible] करवाया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 3797/2257 की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें।

06.6.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:56:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 10 से 15 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 10 से 15 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 16 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के ख0न0 3797/2257 रकबा 1.0921 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में मौके पर किसी प्रकार का वाद–विवाद ना हो तो पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूप्ये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रूपनगढ़ में सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

06.6.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:56:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner